न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजोरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
13/2023	2023/153	12.10.2023	19.02.2023

श्री व्यवस्थापक लेम्पस्, देवगढ़ उचित मुल्य की दुकान FPS कोर्ड संख्या 15561 ग्राम पंचायत देवगढ़ जरिये श्री गोपाल पिता रामचन्द्र प्रजापत व्यवस्थापक लेम्पस्, देवगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— अपीलार्थी

—: बनाम :—

जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़

:— विपक्षीगण

अपील बनाराजगी प्रकरण संख्या 19/2023 निर्णय दिनांक 09.06.2023 (निलम्बन आदेश क्रमांक :— रसद/अभियोजन/2023 दिनांक 17.02.2023)

उपस्थिति :—
1. श्री कुशवेन्द्र सिंह (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. पैरोकार सरकार रसद

—: आदेश :— दिनांक :—19.02.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध बनाराजगी प्रकरण संख्या 19/2023 निर्णय दिनांक 09.06.2023 (निलम्बन आदेश क्रमांक :— रसद/अभियोजन/2023/195—202 दिनांक 17.02.2023) के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 17.02.2023 को अपीलार्थी को एक कारण बताओं नोटीस क्रमांक :— रसद/अभियोजन/2023/19—C दिनांक 17.02.2023 जारी करते हुए दिनांक 03.03.2023 तक उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब देने हेतु पाबंद किया गया था। उक्त कारण बताओं नोटिस अनुसार अवगत कराया गया कि :—

1. रसद विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2023 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थापक श्री गोपाललाल प्रजापत के स्थान पर सह व्यवस्थापक श्री नारूलाल मीणा उपस्थित पाए गए किन्तु उनके द्वारा पॉस मशीन वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।
2. यह कि ई.पी.डी.एस. ऑनलाईन सूचना के अनुसार दिनांक 17.02.2023 को आपकी दुकान पर नियति योजना का 84.54 क्विंटल एवं प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का 17.16 क्विंटल कुल 101.70 क्विंटल गेहुँ अवशेष था।
3. यह कि उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित होने उपरान्त भी सहायक व्यवस्थापक द्वारा गेहुँ के स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

उक्त क्रम में अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया गया था कि वक्त निरीक्षण दिनांक 17.02.2023 को अपीलार्थी के आवश्यक पारिवारिक कारणों से अचानक बाहर होने के कारण गोदाम की चाबी उसके पास ही रह गई जिसके चलते उपस्थित सहायक व्यवस्थापक (श्री नारूलाल मीणा) पॉस मशीन एवं उपलब्ध स्टॉक सत्यापन नहीं करवा पाया था।

इसके पश्चात् रसद विभाग द्वारा अपीलार्थी को जारी अन्य नोटीस दिनांक 22.03.2023 एवं 05.05.2023 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा समस्त उपलब्ध स्टॉक वैकल्पिक दुकानदार श्री केशरसिंह उचित मुल्य दुकानदार सेन्टर चिकलाड़ FPS कोड संख्या 15545 को उपलब्ध करा दिये गये थे। जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का निलबंन समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था किन्तु इसके विपरीत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र ही दिनांक 09.06.2023 को निरस्त कर दिया गया है। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में काई अनियमितता की शिकायत नहीं रही है उसके द्वारा समुचित तरीके से उचित मुल्य दुकान का संचालन किया जाता रहा है। जिससे क्षुब्ध होकर अपील अपीलार्थी उपरोक्त आधारों पर सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे तथा जिला रसद अधिकारी से जारी विवादित आदेश दिनांक 09.06.2023 को अपास्त फरमाते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल फरमावे।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट/विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये जिसकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट/विपक्षी (जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़) कि ओर से पैरोकार सरकार रसद उपस्थित हो सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी लगातार व्यवस्थापक लेम्पस् देवगढ़ के साथ साथ उचित मूल्य दुकान देवगढ़ FPS Code 15561 को संचालन करता चला आ रहा है किन्तु उसके विरूद्ध आदिनांक तक कोई अनियमितता की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है। वक्त निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन से कमी पाई गई राशन सामग्री 101.70 क्विंटल गेहुँ अपीलार्थी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त उचित मुल्य दुकानदार चिकलाड FPS Code 15545 को विधिवत् अन्तरित किये जा चुके है। अपीलार्थी द्वारा कोई गबन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पास लैम्पस एवं उचित मुल्य दुकान देवगढ़ संचालन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 09.06.2023 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल फरमाया जावे।

इसी क्रम में उपस्थित पैरोकार सरकार रसद द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों का आंशिक रूप से खण्ड़न करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही वक्त निरीक्षण दिनांक 17.02.2023 को पाई गई अनियमितताओं तथा सघन जांच के पश्चात् अपीलार्थी को सूनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त की गई है। अपीलार्थी को ज्ञापित नोटीस के क्रम में लगातार कोई लिखित अथवा मौखिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा कमी राशन सामग्री बामुश्किल वैकल्पिक दुकानदार को जमा कराई गई है। जिसके आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक प्रचलित विधियों के परिपेक्ष्य में अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 18.08.2023, निलबंन आदेश एवं कारण बताओं नोटिस दिनांक 17.02.2023 एवं 22.03.2023

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

कितना गेहू उक्त दुकान में कम मिला है इस कारण कथित नोटिस अपने

तथा 05.05.2023 एवं निर्णय दिनांक 09.06.2023 तथा समस्त नकल आदेशिकाएं प्रकरण संख्या 19/2023, सामग्री प्राप्ति रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 तथा संलग्न समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया वक्त निरीक्षण अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित कार्यवाही के संबंध में अधिनस्थ द्वारा अपीलार्थी को बार बार अवसर प्रदान कराये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा युक्ति–युक्त जवाब अधिनस्थ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा अपीलार्थी द्वारा वक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन अन्तर्गत कम पायी गई राशन सामग्री 101.70 क्विंटल गेहुँ का अन्तरण वैकल्पिक उचित मुल्य दुकानदार नियत समायावधि में अन्तरित नहीं किया जाना अनियमितता का बहुत बड़ा कारक रहा है। अधिनस्थ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित सम्पूर्ण कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि दर्शित रिकार्ड नहीं पाये जाने से अपीलार्थी के पक्ष में शिथिलन का रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2023 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ

कितना गेहूं उक्त दुकान में कम मिला है इस कारण कथित नोटिस अपने